1— **<u>प्रमाण—पत्र</u>** :—

बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम मानक स्तर का होने पर और जहां प्रावधान हो वहां अनुवांशिक शुद्धता परिणाम मानको के अनुरूप होने पर तथा अन्य अर्हतायें पूर्ण होने पर बीज अधिनियम 1966 की धारा—9 (3) के अन्तर्गत प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र (पत्रक—7) संबंधित सहा. बीज प्रमा. अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा और संबंधित संभागीय कार्यालय के बीज प्रमा. अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर एक प्रति बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था को, दूसरी एवं तीसरी प्रति संभागीय कार्यालय को तथा चौथी प्रति सहा. बीज प्रमा. अधिकारी के रिकार्ड में रखी जायेगी। इस प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि 09 माह की होगी।

बीज परीक्षण परिणाम मानकों के अनुरूप प्राप्त होने के शीघ्र बाद किन्तु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रमाणीकरण (टैगिंग) कराना अनिवार्य होगा।

2— **<u>प्रमाणीकरण टैग लगाना</u>** :—

प्रमाणीकरण के योग्य बीज लाट के लिये प्रमाणीकरण संस्था प्रत्येक बोरे के लिये टैग एवं टीन सील निर्धारित मूल्य प्राप्त कर देगी तथा यह सुनिश्चित कर लेगी कि यह टैग, बोरे पर बीज अधिनियम 1966 की धारा—7 के अंतर्गत बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था के लेबिल के साथ लगाये जावेंगे। संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि(सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी) प्रत्येक टैग पर अपना नाम तथा पद की मोहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे। केवल आलू को छोडकर जहां शीत भण्डारण के दौरान टैग गल सकते हैं, कोई भी टैग,बोरे/थैले/डिब्बें के अंदर नहीं रखा जाना चाहिये। आलू के लिए प्रदत्त टैग पॉलिथिन के अंदर रखकर बोरी में लगाया जाना चाहिए।

3— **<u>संस्था के देय सभी शुल्कों की भुगतान विधि</u>** :—

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणीकरण कार्यो हेतु निर्धारित शुल्क की राशि संबंधित उत्पादक संस्था द्वारा अग्रिम रूप से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के नाम से देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्रॉफ्ट अथवा चालान के माध्यम से (जैसा निर्धारित किया जाये) संस्था के संभागीय कार्यालय भेजी

जावेगी। संभागीय कार्यालय द्वारा आवश्यक परीक्षण कर तदनुसार देयक जारी किये जायेगे। तदनुसार राशि संबंधित मद के पत्रक सहित मुख्यालय भेजी जावेगी। आवश्यकतानुसार संबंधित संभागीय कार्यालय स्तर पर केवल रूपये 100/ तक की राशि नगद प्राप्त की जा सकती है तथा उसी दिन या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस में उक्त राशि संस्था के खाते में जमा कराई जावेगी।

4— वैधता अवधि बढ़ानाः—

4.1 प्रथम बार प्रमाणीकरण किए गए लाट की वैधता अवधि समाप्त होने पर उस बीज लाट का पुनः परीक्षण करवाने के लिए प्रत्येक लाट का क्रमांक/किस्म श्रेणी के अनुसार अलग—अलग व्यवस्थित कर लें, तथा जो बोरे/थैले फट गए हो या जिनके टैग लेबिल,मुहर आदि निकल गए हो उन्हे अलग कर दे क्योंकि ऐसे बोरों/थैले/डिब्बों की वैधता बढ़ाना संभव नही होगा यदि संबंधित लाट का मूल प्रमाणीकरण मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा न किया गया हो तो मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था यह संतुष्ट होने पर कि बीज प्रक्रिया करने से बीज की गुणवत्ता बढ़कर मानको के अनुरूप हो सकती है तो बोरों/थैलों आदि को खोलने से पूर्व बीज का नमूना निकालकर उसे तीन भागों में बांटकर मुंहरबंद किया जाएगा और निम्नानुसार वितरित किया जाएगाः—

1. ध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल।
2. आवेदक व्यक्ति/संस्था।
3. उस प्रमाणीकरण संस्था को जिसने मूल प्रमाणीकरण किया है पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा तत्पश्चात उस बीज लाट की पुन : प्रक्रिया करवाकर पुनः बीज परीक्षण कराया जा सकेगा।

4.2 बीज परीक्षण प्रयोगशाला से मानकों के अनुरूप परिणाम आने पर वैधता अवधि छः माह बढ़ाने हेतु प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–8) जारी किया जा कर उसका विवरण निम्नानुसार किया जाएगाः–

1- आवेदक व्यक्ति/संस्था
2- संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
3- संबंधित संभागीय कार्यालय

4. प्रधान कार्यालय द्वारा मूल प्रमाणीकरण मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया गया होने पर और ऐसे बीज लाट की पुनः प्रक्रिया आवेदित की जाने पर भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के परिशिष्ट प्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसे लाट हेतु जारी किया गया वैधता टैग पर संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पुनः प्रक्रिया करवाकर अथवा बोरे/थैले खोलकर, वैधता अवधि बढाई जाएगी। ऐसे बोरों/थैलों के प्रमाणीकरण टेग, संस्था द्वारा सुरक्षित रखकर नयें प्रमाणीकरण टैग, जिसमें मूल टैग का पूर्ण विवरण(मूल प्रमाणीकरण संस्था के नाम सहित) होगा, निर्धारित शुल्क प्राप्तकर जारी किये जाऐंगे। इन टैगो के अनुक्रमांक मूल प्रमाणीरकण संस्था को लाटवार सूचित किये जावेगें एवं ऐसे प्रत्येक लाट के दो टैग संस्था रखेगी शेष नष्ट कर देगी।

4.3 संबंधित बीज लाट जो कि परीक्षण में मानकों के अनुरूप पाया गया हो, के प्रत्येक बोरे/थैले के लिए नया वैधता टैग निर्धारित मूल्य प्राप्त कर केवल पहली बार वैधता अवधि बढ़ाते समय दिया जाएगा।

4.4 प्रमाणीकरण का मूल टैग, वैधता अवधि बढाते समय बोरो/थैलों से उतारा नहीं जाएगा। यदि संभव हो तो वैधता अवधि बढ़ानें का टैग बोरों/थैलों पर सिलाई कर लगाया जाएगा,अन्यथा मूल टैग पर ही लगाँ(जंचसम) कर दिया जाएगा।

4.5 वैधता अवधि बढाने के कार्य हेतु प्रमाणीकरण संस्था की निम्न परिस्थितियों कें लिए शुल्क निर्धारित करेगी :–

1– जहां थैले/बोरे खोले जाना हो।

2– जहां थैले/बोरे खोलकर नमूने लेकर पुनः मुहरबंद किए गए हो।

3– जहां पुनः प्रक्रिया सहित वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जावे,

वहां प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित अग्रिम शुल्क देय होगा।

4.6 जिन फसलों में अनुवांशिक शद्धता परीक्षण के बाद टैग जारी किये जाते है, ऐसी फसल का बीज यदि अन्य किसी प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित है तो बीज वैधता अवधि बढाने हेतु आवेदित होने पर उक्त लाट में वैधता टैग न लगाये जाकर सिर्फ वैधता अवधि बढ़ाने संबंधी विवरण की सील बाहर लगाई जाएगी।

4.7 जिन बीज लाट्स की पुनः वैधता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाए वे केवल, आधार या प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत किसी भी प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित होना चाहिये।